



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



30 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 286 राँची, सोमवार,

20 मई, 2024 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

16 मार्च, 2024

पत्रांक-03/क०रा०यो०-18/2023-743 /कृ.-राज्य योजनान्तर्गत 'किसान समृद्धि योजना' की प्रचालन मार्गदर्शिका अधिसूचित की जाती है। (प्रचालन मार्गनिर्देशिका संलग्न)

2- 'किसान समृद्धि योजना' की प्रचालन मार्गदर्शिका पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-16-03-2024 को संपन्न बैठक में मद सं0&51 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

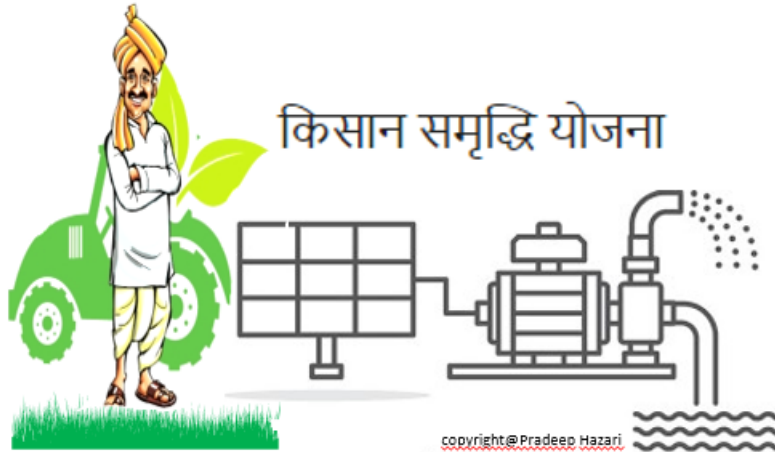
अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।



झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

किसान समृद्धि योजना

प्रचालन मार्गनिर्देशिका



copyright@Pradeep Hazari

किसान समृद्धि योजना

पृष्ठभूमि

झारखण्ड राज्य के ग्रामीण आबादी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। राज्य की लगभग 77 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य में लगभग 38 लाख किसान हैं। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी राज्य अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। झारखण्ड राज्य भोजन असुरक्षा से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची में 35 वें स्थान पर है। यह स्थिति काफी चिंताजनक है। राज्य में लगभग 38 लाख हे० भूमि पर खेती होती है जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्नों की खेती की जाती है जिनकी औसत उत्पादकता असिंचित अवस्था में 1.4 टन प्रति हेक्टेअर तथा सिंचित अवस्था में 1.8 टन प्रति हेक्टेअर है। खरीफ धान एक फसली प्रणाली की मुख्य फसल है।

सीमित उत्पादकता, एक फसली खेती एवं परंपरागत कृषि पद्धतियों के प्रचलन के कारण, खाद्यान्न आधारित एक फसली खेती बहुत लाभकारी व्यवसाय नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त मौसमी बेरोजगारी तथा इन क्षेत्रों से होनेवाले अत्याधिक पलायन का मुख्य कारण है। वर्तमान में प्रचलित खाद्यान्न आधारित एक फसली खेती के स्थान पर फसल विविधिकरण एवं नगदी फसलों जैसे सब्जी, फलों, दाल, मसाले इत्यादि की खेती को प्रोत्साहित करने पर लघु एवं सीमांत कृषकों को सालों भर नियमित आमदनी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सकती है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण कृषि उपादानों की व्यवस्था करके, कम उत्पादक कृषि तथा गरीबी के कुचक्र से राज्य के लघु एवं सीमांत कृषकों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास में काफी सहायक होगी।

झारखण्ड की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। वर्षापात में होनेवाली कमी, खरीफ तथा रब्बी, दोनों तरह की फसलों के आच्छादन, उत्पादकता तथा उपज को प्रभावित करती है। कृषि क्षेत्र में सतत वृद्धि के लिये सिंचाई साधनों का विकास अनिवार्य है। झारखण्ड में कृषि क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र मुख्यतः गैर-कमान्ड एरिया में पड़ता है। गैर कमान्ड एरिया में भूजल ही सिंचाई का मुख्य साधन है। नदी, नालों, झरने छोटी नदियों, जलाशय आदि में उपलब्ध सतही जल का उपयोग भी सिंचाई के लिये किया जाता है।

राज्य में ग्रिड कनेक्टेड विद्युत आपूर्ति की पूरी तरह से भरोसेमंद ढाँचे का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विद्युत आधारित सिंचाई पम्पों की स्थापना पर्याप्त संख्या में नहीं हो पाई है। राज्य के लघु एवं सीमांत कृषक अभी भी सिंचाई के लिये डीजल/किरोसीन आधारित छोटे सिंचाई पम्पों पर निर्भर हैं। डीजल/किरोसीन आधारित छोटे सिंचाई पम्पों का परिचालन खर्च काफी महँगा है, जो सिंचित कृषि को अलाभकारी बना देता है। सौर उर्जा आधारित छोटे पम्पसेट, डीजल/किरोसीन आधारित सिंचाई पम्पों का व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं। सौर उर्जा आधारित पम्पसेट परिचालन में काफी सुविधाजनक होते हैं तथा परिचालन खर्च भी नहीं के बराबर होता है। उर्जा के लिये किसी

बाहरी स्रोत पर निर्भर नहीं होने के कारण, सौर ऊर्जा चालित पम्पसेट काफी भरोसेमंद होते हैं। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई ईकाईयों की स्थापना कर झारखण्ड राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

झारखण्ड राज्य में सिंचाई जल के स्रोत मुख्यतः छोटे मौसमी नदी, नाले, झरने, तालाब तथा कुएँ इत्यादि हैं। उपलब्ध जल स्रोतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा चालित सिंचाई ईकाईयों की स्थापना के लिए “कृषि समृद्धि योजना” का प्रावधान किया जा रहा है।

2. योजना के मुख्य उद्देश्य :-

पर्यावरण अंशुतलन तथा जलवायु परिवर्तन में जीवाश्म ईंधनों के योगदान के अवांछित प्रभाव को देखते हुए, वैश्विक स्तर पर, जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा के नवीकरणीय वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग बढ़ रहा है। भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत तक करने के लिये प्रतिबद्ध है। झारखण्ड सरकार भी राष्ट्रीय प्राथमिकता में अपनी भूमिका निभाते हुए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

‘किसान समृद्धि योजना’ झारखण्ड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कृषि में सिंचाई के लिए उपयोग में लाये जा रहे जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोत के स्थान पर सौर ऊर्जा चालित सिंचाई ईकाईयों की स्थापना को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन लागत को कम करके झारखण्ड को कृषि प्रतिस्पर्धी बनायेगी तथा किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगी।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-

1. उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर, किसानों की आमदनी में वृद्धि करना।
2. कृषि में सिंचाई लागत को कम कर कृषि उत्पादन लागत को कम करना।
3. टिकाऊ तथा भरोसेमंद सिंचाई प्रणाली की स्थापना के माध्यम से लद्दु एवं सीमांत किसानों को सालोंभर सिंचित खेती के लिए प्रेरित करना।
4. स्थानीय स्तर पर सालोंभर उच्च पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाना।
5. कृषि क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर सालोंभर रोजगार सृजन कर पलायन को रोकना।

3. योजना की मुख्य विशेषताएँ :-

1. यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में चलाई जायेगी।
2. यह सभी तरह के जल स्रोतों (कुआँ, नदी, झरना, तालाब, चेक डैम इत्यादि) से जल उठाव में उपयोगी है।
3. इस योजना के अन्तर्गत दो तरह की सिंचाई ईकाईयों की स्थापना/वितरण का प्रावधान है:-
 - A. 5 Hp सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट उद्बह सिंचाई ईकाई
 - B. 2 Hp सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट चलंत सिंचाई ईकाई
4. योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90 प्रतिशत तक अनुदान देगी एवं 10 प्रतिशत अंशदान लाभुकों द्वारा दिया जायेगा।

5. योजना के अन्तर्गत लाभुकों का चयन ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा ।
6. इस योजना के अन्तर्गत स्थापित/वितरित सिंचाई ईकाईयों की कम से कम 5 वर्षों तक रख रखाव तथा मरम्मत की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी ।
7. आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही है कि वह प्रत्येक सोलर सिंचाई इकाई में GPS अधिष्ठापित करते हुए प्रणाली आपूर्ति करेंगे एवं मुख्यालय स्तर पर GPS Monitoring हेतु Software/Dashboard उपलब्ध कराएंगे ।
8. आँधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि तथा चोरी के विरुद्ध पम्प सेट के लिए 5 वर्षों तक बीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी। सोलर पैनल पम्पसेट की वारंटी MNRE के मापदण्ड के अनुसार होगी ।
9. सभी तरह के वारंटी, तकनीकी मेन्टेनेंस, चोरी, वार्षिक मेन्टेनेंस इत्यादि आपूर्तिकर्ता के दर के अन्तर्गत सम्मिलित रहेगी ।
10. GPS अधिष्ठापन सहित सोलर चालित सिंचाई इकाई के रखरखाव, मरम्मत कार्य एवं 5 वर्षों तक बीमा सुरक्षा पर होनेवाले व्यय के लिए आपूर्तिकर्ता के दर के आधार पर आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाएगा ।
11. लाभुकों को इकाई के परिचालन तथा रख रखाव का प्रशिक्षण आपूर्तिकर्ता द्वारा दिया जाएगा।
12. इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है ।
13. इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभुकों को केवल एक बार ही अनुदान का लाभ दिया जायेगा। समूह की स्थिति में समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

4. किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा आधारित पम्प सेट इकाई:-

इस सौर पम्पिंग इकाई का उपयोग आवश्यकता अनुसार सभी तरह के जलस्रोतों से सिंचाई जल उठाने के लिये किया जा सकता है। इसके साथ ही सिंचाई की आवश्यकता नहीं होने पर सौर सिस्टम से उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरणों को चलाने में किया जा सकता है। जैसे थ्रेसर, विनोवर, आटा चक्की, धान कुटाई यंत्र, मसाला पिसाई यंत्र इत्यादि। यदि लाभुक चाहे तो 2 से 3 सौर सिस्टमों के पैनल एक साथ जोड़कर उच्च क्षमतावाले मशीन भी चला सकते हैं ।

“किसान समृद्धि योजना” अन्तर्गत सौर ऊर्जा चालित दो तरह की सिंचाई ईकाईयों की स्थापना/वितरण किया जायेगा :-

A. 5 Hp सतही सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित उद्वह सिंचाई ईकाई

इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेकडैम, बड़े कुएँ जैसे जलस्रोत जहाँ प्रायः सालों भर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध रहता है, पर 5 Hp क्षमता के सौर ऊर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित छोटे उद्वह सिंचाई ईकाई स्थापित किये जायेंगे

जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 05 एकड़ होगी, इस उद्वह सिंचाई ईकाईयों की स्थापना एकल/सामूहिक इकाई के रूप में की जाएगी ।

B. 2 Hp सतही सौर ऊर्जा पम्पसेट आधारित चलंत सिंचाई ईकाई

इसके अन्तर्गत नदी, नाले, तालाब, चेक डैम, कूप जैसे जलस्रोत जहाँ सालोंभर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, पर 2 Hp क्षमता के सौर ऊर्जा चालित सतही पम्पसेट आधारित चलंत सिंचाई ईकाई किसानों को प्रदान किये जायेंगे जिनकी सिंचाई क्षमता लगभग 01 एकड़ होगी। इस प्रकार की सिंचाई इकाईयाँ ट्राली के उपर अवस्थित होंगी और जो किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग के लिये प्रदान की जाएंगी ।

5. योजना का संचालन :-

यह योजना मुख्य रूप से कार्यान्वयन विभाग “कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग” के अधीन संचालित की जायेगी ।

योजना के बेहतर कार्यान्वयन, अनुश्रवण, समन्वय और सूचना के प्रवाह के लिए समय-समय पर राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची तथा जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा समीक्षा की जाएगी ।

6. कार्यान्वयन एजेंसी :-

इस योजना का कार्यान्वयन कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची के नियंत्रण में ‘राज्यस्तरीय कृषि मैनेजमेंट एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (समेति), राँची’ के द्वारा किया जायेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए समेति, राँची “परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (PIA*) होंगे ।

विभाग स्तर पर विभागीय संचालन कमिटी (Departmental Steering Committee) का गठन विभागीय सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा, जिसकी अधिसूचना अलग से निर्गत की जायेगी। इस कमिटी का दायित्व योजना का संचालन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु नीतिगत निर्णय लेना होगा। योजना के प्रचालन मार्गनिर्देशिका में किसी प्रकार का संशोधन उक्त कमिटी की अनुशंसा के उपरान्त विभाग द्वारा किया जायेगा ।

7. योजना पोर्टल के लिए सॉफ्टवेयर विकास और प्रौद्योगिकी अवसंरचना का प्रबंधन:-

वर्तमान में विभाग द्वारा कई योजनाएँ यथा - Block chain Technology द्वारा बीज वितरण का पोर्टल, झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना, झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना इत्यादि Online Portal के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। सर्वप्रथम मौजूदा Suitable Online Portal पर ही इस योजना को Onboard करने का प्रयास किया जायेगा। यदि उक्त व्यवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तब अलग से NIC/JAP-IT के माध्यम से पोर्टल विकसित किया जायेगा। अगर एन.आई.सी. (NIC)/JAP-IT पोर्टल Develop नहीं कर पाया तो आवश्यकता पड़ने पर e-Tender के माध्यम से Portal Developer & Management के लिए प्राईवेट एजेंसी का चयन किया जायेगा। पोर्टल विकास में आवश्यकतानुसार Man Power, Infrastrure इत्यादि की व्यवस्था PIA द्वारा किया जायेगा ।

स्कीम पोर्टल की गोपनीयता और पोर्टल प्रबंधन एन.आई.सी. (NIC)/JAP-IT की देख रेख में रहेगा। हालांकि स्कीम पोर्टल का Owner इस योजना का कार्यान्वयन विभाग का होगा तथा State Data Centre में Onboard कराया जायेगा।

8. योजना का प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता :-

इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था PIA द्वारा किया जायेगा।

योजना को लागू करने में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, किसान मेले, प्रदर्शनियों, एसएमएस, लघु फिल्मों आदि सभी संभव साधनों का उपयोग कृषकों के बीच योजना के प्रावधानों और लाभों के बारे में जागरूकता तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए किया जायेगा।

9. आवेदक की पात्रता एवं आवेदन की प्रक्रिया :-

इस योजना के अन्तर्गत 'सौर उर्जा सिंचाई ईकाई' के लिये राज्य के सभी किसान, JSLPS अन्तर्गत पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह, पंजीकृत किसान उत्पादक समूह (FPO), पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनी (FPC), पंजीकृत सहकारी समिति (LAMPS/PACS/विशेष प्रकार की सहकारी समिति आदि) इत्यादि पात्र होंगे।

ध्यान देने योग्य बिन्दु :-

- (क) कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह/FPO/FPC/Co-operatives की ओर से समूह/संस्था के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) आवेदक किसान/ अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी का आधार/राशन कार्ड का e-KYC होगा।
- (ग) आवेदन में FPO/FPC/LAMPS/PACS के User Group लाभुकों की विवरणी देनी होगी।
- (घ) किसान/समूह/संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदकों की भूमि जल स्रोत के पास में ही हो। अन्यथा भूमि निरीक्षण के दौरान आवेदन सही नहीं पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

9.1 पात्रता :-

- व्यक्तिगत किसान/कृषक समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य/शेयर होल्डर- झारखण्ड राज्य का स्थानीय होना चाहिए।
- कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह (JSLPS पंजीकृत)/FPO/FPC/LAMPS/PACS का पंजीकृत कार्यालय- झारखण्ड राज्य में होना चाहिए।
- किसान/सदस्य/शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान/सदस्य/शेयर होल्डर के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होंगे।
- किसान/परिवार/समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए।

- आधार लिंकड मोबाईल नम्बर होना चाहिए ।
- आधार लिंकड राशन कार्ड होना चाहिए ।

9.2 आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज :-

- (क) व्यक्तिगत किसान इस योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे :
- a. जमीन का मालगुजारी रसीद
 - b. वंशावली का शपथ पत्र / JRFRY से अनुबंधित किसान
 - c. आधार कार्ड का फोटो कॉपी
 - d. बैंक पासबुक का फोटो कॉपी
 - e. आधार कार्ड लिंकड मोबाईल नम्बर
 - f. आधार लिंकड राशन कार्ड नम्बर
- (ख) SHGs/FPO/FPC/LAMPS/PACS के लिए निम्नलिखित दस्तावेज योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे :
- a. संस्था पंजीकरण का प्रमाण-पत्र
 - b. अध्यक्ष/ सक्षम पदाधिकारी का आधार कार्ड तथा आधार लिंक मोबाईल नं०
 - c. यूजर ग्रुप के सदस्यों का आधार कार्ड ।
 - d. जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है, उस भूमि का मालगुजारी रसीद ।
 - e. संस्था का बैंक खाता।

9.3 निम्नलिखित श्रेणी के आवेदक इस योजना के पात्र नहीं होंगे :-

- A. बटाईदार किसान
- B. अगर कोई किसान, या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है
- C. राज्य/केन्द्र सरकार के साथ-साथ पी०एन०यू० और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी
- D. डॉक्टर, इंजीनीयर, Chartered Accountant, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स।
- E. सरकारी कर्मी (चतुर्थ वर्गीय कर्मी को छोड़कर)
- F. समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS के सदस्य का अलग से आवेदन, अगर समूह आवेदन कर रहा है और सदस्य का भी नाम आवेदन में है
- G. अन्य किसी विभाग या संस्था से समरूप सिंचाई योजना से आच्छादित लाभुक एवं उनके परिवार के सदस्य को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा या स्वयं द्वारा पूर्व में ऐसी इकाई अधिष्ठापित की गयी हो ।
- H. काली सूची में दर्ज किसान उत्पादक समूह/किसान उत्पादक कम्पनी, सहकारी समिति इत्यादि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।

9.4 आवेदक द्वारा यूआईडी (आधार) प्रदान करना :-

सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार नम्बर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अतिरिक्त आधार नम्बर योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान जारी करने में मदद करता है। वर्तमान में अधिकांश योजनाओं में आधार का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस योजना के तहत लाभ के लिए आधार को सामान्यतः अनिवार्य किया जाएगा। पात्र किसान स्व-घोषणा पत्र के माध्यम से योजना के लिए अपने आधार के उपयोग करने की सहमति देंगे।

आधार कार्ड आईडी न रखने वाले किसान भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं तथापि उनको आधार नम्बर के लिए अपने नामांकन का प्रमाण भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 334 दिनांक 8 फरवरी 2017 के अन्तर्गत आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

10. आवेदन, लाभुक चयन एवं भुगतान की प्रक्रिया :-

- पात्र आवेदक अपना आवेदन दिये गये आवेदन प्रपत्र (क, ख एवं ग) में सारी वांछित जानकारी भरेंगे। अलग-अलग प्रकार के आवेदक के लिये अलग-अलग आवेदन प्रपत्र भरे जायेंगे।
- आवेदक आवेदन करने के लिए योजना के पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे।
- डाउनलोड आवेदन पत्र को आवेदक द्वारा भरा जायेगा। आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कराना होगा।
- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित आवेदन तथा वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदक को अपने नजदीकी CSC (प्रज्ञा केन्द्र/लैम्प्स/पैक्स) या अन्य सेवा केन्द्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी तथा आवेदक को CSC हेतु निर्धारित सेवा शुल्क का वहन करना होगा।
- CSC (प्रज्ञा केन्द्र/लैम्प्स/पैक्स) द्वारा आवेदकों की सारी जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन भरी जायेगी तथा वांछित दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। साथ ही आवेदक अपना आधार तथा राशन कार्ड आधारित e-KYC करायेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को रसीद/पंजीकरण संख्या प्रदान की जायेगी, जो कि भविष्य में Reference के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन जमा होने के उपरान्त परियोजना निदेशक (PIA)/जिला कृषि पदाधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की गहन जाँच करेंगे तथा पात्र आवेदक/सही आवेदक को निदेशक, समेति को ऑनलाइन अनुमोदन कर अग्रसारित करेंगे।
- त्रुटिपूर्ण आवेदन को आवेदकों से पुनः भरवाया जायेगा/सुधार करवाया जायेगा। ऐसे आवेदकों को SMS/Phone Call के माध्यम से त्रुटि के बारे में सूचित किया जायेगा। आवेदक अपने आवेदन के संबंध में, ऑनलाइन, स्थिति की जाँच कर सकेंगे। प्रत्येक आवेदक अपना आधार नं0, मोबाईल नं0 का इस्तेमाल कर अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।

- सही आवेदनों को निदेशक, समेति अनुमोदित कर अधिसूचित Empanelled Supplier Company के Login में अग्रसारित करेंगे ।
- आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अधिसूचित कम्पनी 15 दिनों के अन्दर आवेदक के पास जाकर स्थल निरीक्षण कर इकाई अधिष्ठापन हेतु Installation प्रतिवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे।
- परियोजना निदेशक अनुमोदन प्राप्त लाभुकों का 07 दिनों के अन्दर Escrow Account बैंकों में खुलवाना सुनिश्चित करेंगे तथा लाभुकों से 10 प्रतिशत अंशदान Escrow Account में जमा कराना भी सुनिश्चित करेंगे ।
- लाभुकों से 10 प्रतिशत अंशदान प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक, समेति 90 प्रतिशत अनुदान की राशि प्रत्येक Escrow Account में तुरंत जमा करेंगे ।
- Escrow Account में राशि जमा होने के उपरान्त परियोजना निदेशक अधिसूचित कम्पनी को सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु ऑनलाइन निर्देश अग्रसारित करेंगे ।
- अधिसूचित कम्पनी निर्धारित स्थल पर 10 दिनों के अन्दर सोलर पम्प अधिष्ठापित करेगी और इसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेगी, जो कि परियोजना निदेशक तथा निदेशक, समेति को प्राप्त होगी।
- परियोजना निदेशक अधिष्ठापन प्रतिवेदन (Installation Report) प्राप्त होने के उपरान्त अधिष्ठापित सोलर पम्प सेट इकाई को सत्यापित (Verify) कर 07 (सात) दिनों के अन्दर ऑनलाइन प्रतिवेदन जमा करेंगे। (अनुलग्नक-IV)

कम्पनी को भुगतान की प्रक्रिया :-

- परियोजना निदेशक Verification के उपरान्त इकाई अधिष्ठापित करने वाली कम्पनी लाभुकों से संतुष्टि पत्र तथा भुगतान हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक-V) प्राप्त कर ऑनलाइन Report 07 (सात) दिनों के अन्दर करेंगे ।
- संतुष्टि पत्र/भुगतान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक, समेति/परियोजना निदेशक कम्पनी को भुगतान की राशि विमुक्त करेंगे तथा Online प्रतिवेदन भी देंगे ।

11. NIC की भूमिका :-

एनआईसी सरकार के प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में काम करेगा। यह पोर्टल इस तरह से विकसित किया जाएगा कि लाभुकों के आवेदन विभिन्न माध्यमों से अपलोड किये जा सकें। योजना पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने के बाद एनआईसी प्रजा केन्द्रों (सीएससी) तथा सार्वजनिक उपयोग और आवेदन प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य केन्द्रों तथा पोर्टल की ऑनलाइन पहुँच को सक्षम करेगा ।

12. प्रजा केन्द्रों (Common Service Centres)/ Banking Component /LAMPS/PACS (e-KYC सुविधा के लिए) की भूमिका :-

किसानों के द्वार पर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू करने के लिए प्रजा केन्द्रों (CSC)/Banking Correspondent/LAMPS/PACS की सेवाएँ ली जायेगी। योजना वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगी और प्रजा केन्द्रों (CSC)/Banking Correspondent/LAMPS/PACS इत्यादि में भी उपलब्ध होगी। पात्र आवेदक इस योजना का

लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने निकटतम प्रज्ञा केन्द्र (CSC)/Banking Correspondent/LAMPS/PACS इत्यादि में आएंगे।

- प्रज्ञा केन्द्र (CSC)/ Banking Correspondent/LAMPS/PACS इत्यादि आवेदक हेतु e-KYC के लिए सुविधा की व्यवस्था करेंगे।
- आवेदन की प्रक्रिया में प्रज्ञा केन्द्र या अन्य को देय शुल्क का वहन आवेदक द्वारा किया जायेगा।

13. ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली :-

किसी भी योजना की सफलता के लिए शिकायत प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है और शिकायत का समय पर समाधान सरकार के प्रति, आवेदक (जनता) में विश्वास की भावना लाता है। आवेदकों की शिकायतों के समाधान के लिए एनआईसी द्वारा एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। इस ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के तहत आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने के दौरान जारी किए गए टोकन नंबर के अपने संदर्भ संख्या का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शिकायत परियोजना निदेशक, आत्मा लॉगिन को प्रस्तुत की जाएगी और उसे शिकायत प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर अनिवार्य रूप से शिकायत का निष्पादन करना होगा। यदि शिकायत का समाधान परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला स्तर से नहीं हो पाता है तो PIA SAMETI अगले 7 कार्य दिवस के अन्दर विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इसका समाधान करेंगे।

14. निधि प्रबंधन :-

इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, रॉ चीहोंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करते हुए समेति, झारखण्ड के पी0एल0 में हस्तांतरित किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन एवं आवंटित राशि के विचलन के लिए PIA जिम्मेदार होंगे। योजनान्तर्गत आकस्मिकता मद में बजटीय उपबंध की 5% राशि रखी जायेगी, जो कि पोर्टल मैनेजमेंट, मूल्यांकन, प्रचार-प्रसार, निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय आदि हेतु व्यय की जायेगी।

15. आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध (एमपैनल) एवं दर निर्धारण करना :-

योजना के कार्यान्वयन हेतु सौर ऊर्जा यंत्रों का तकनीकी मानक/विशिष्टता तथा कम्पनी/एजेंसियों को सूचीबद्ध एवं दर निर्धारण की कार्रवाई विभागीय कार्यालय आदेश सं0-3823 दिनांक- 16.11.2023 के आलोक में की जायेगी।

16. आपूर्ति/अधिष्ठापन की जानेवाली सोलर सिंचाई इकाई में GPS System (पॉ चवर्ष के रिचार्ज सहित) का अधिष्ठापन आपूर्तिकर्ता एजेन्सी/कम्पनी को अनिवार्य रूप से करना होगा। इस पर आनेवाले व्यय का वहन निविदा प्रस्ताव में दिये गये दर में सम्मिलित होगा।

आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही होगी कि वह प्रत्येक सोलर सिंचाई इकाई में GPS अधिष्ठापित करते हुए सिंचाई प्रणाली की आपूर्ति करेंगे एवं मुख्यालय स्तर पर GPS Monitoring हेतु Software/Dashboard उपलब्ध कराएंगे। GPS Monitoring के Software को योजना पोर्टल के साथ Integrate किया जायेगा।

17. गुणवत्ता, दक्षता एवं आपूर्ति उपरांत रख-रखाव सेवा :-

सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता सौर सिंचाई प्रणाली के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग के लिए जिम्मेवार होंगे। सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं को सभी यांत्रिक अवयवों तथा प्रणाली की गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट नोडल एजेंसी को समर्पित करनी होगी। निर्धारित मानकों में कमी पाये जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डाल दिया जाएगा और विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

आपूर्तिकर्ताओं को ईकाई कमीशनिंग के दिन से शुरूकर पहले 5 वर्षों के लिये अनिवार्य रूप से वार्षिक रखरखाव करना होगा। वार्षिक रखरखाव में तकनीकी मेंटनेंस, खराब पार्ट-पूजों को बदलना, GPS अधिष्ठापन एवं रखरखाव सेवा के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा तथा चोरी के विरुद्ध बीमा भी सम्मिलित होगा।

आपूर्ति उपरांत सुचारु रूप से मेंटनेंस/रखरखाव सेवा प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं को निम्नलिखित व्यवस्थाएं करनी होगी :-

1. जिला/प्रखण्ड स्तर पर ऑथराइज्ड सेवा केन्द्रों तथा स्पेयर पार्ट केन्द्रों की व्यवस्था करनी होगी।
2. इन केन्द्रों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये पर्याप्त आकार के होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, पोस्टर इत्यादि लगाने होंगे।
3. हिन्दी भाषा में बात करने की सुविधा के साथ हेल्पलाइन व्यवस्था करनी होगी। साथ ही लाभुकों को हेल्पलाइन का टोल फ्री सम्पर्क फोन नं० उपलब्ध कराना होगा।
4. सेवा केन्द्रों/हेल्पलाइन/ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का तय समय के भीतर निवारण कर महीनावार निर्धारित फॉर्मेट में प्रतिवेदन पोर्टल पर समर्पित (Upload) करेंगे।
5. वार्षिक रखरखाव के तहत आपूर्तिकर्ता के तकनीकी विशेषज्ञ प्रत्येक 3 महीने में ईकाई का दौरा करके निर्धारित फॉर्मेट में प्रतिवेदन नोडल एजेंसी को योजना पोर्टल के माध्यम से समर्पित करेंगे।
6. सिस्टम का मेंटनेंस तथा परिचालन पुस्तिका हिन्दी भाषा में मुद्रित कर लाभुकों के बीच वितरित करना होगा।
7. सोलर चालित सिंचाई इकाई में अधिष्ठापित GPS System की monitoring हेतु आपूर्तिकर्ता कम्पनी के द्वारा PIA - SAMETI को संबंधित सॉफ्टवेयर/डैशबोर्ड उपलब्ध कराना होगा।

18. प्रचालन मार्गदर्शिका की व्याख्या :-

इस मार्गदर्शिका के किसी बिन्दु/खण्ड की व्याख्या या समझ में किसी तरह की अस्पष्टता/दुविधा की स्थिति में योजना कार्यान्वयन विभाग का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा। विभाग के द्वारा समय-समय पर प्रचालन मार्गदर्शिका की समीक्षा की जाएगी तथा जरूरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकार के अनुमति से किये जायेंगे। इसकी सूचना सभी हितधारकों को दी जाएगी ।

प्रपत्र-'क'

अनुलग्नक-1

किसान समृद्धि योजना के लिए आवेदन (व्यक्तिगत किसान के लिए)											
आवेदक											
समूह का नाम (यदि समूह के माध्यम से आवेदन कर रहा है)											
पिता/पति का नाम											
उम्र						पासपोर्ट साईज फोटो					
लिंग											
जिला											
प्रखण्ड											
पंचायत											
ग्राम											
जाति		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य									
कुल रकबा (एकड़ में)											
जमीन का विवरण											
क्रम संख्या	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	रकबा (डिस्मिल में)	कुल						
फसल का विवरण											
क्रम संख्या	फसल का नाम			रकबा	उपज						
सिंचाई जल स्रोत	नदी/तालाब/डोभा/कुआ										
आधार संख्या											
मोबाइल नंबर											
मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं योजना के निर्देशिका के अनुसार पात्र आवेदक हूँ। किसी भी समय मेरे द्वारा घोषित जानकारी गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं अपना आधार कार्ड स्वेच्छा से दे रहा/रही हूँ। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि योजना का लाभ लेने के लिए मैं Escrow Bank Account में 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जमा करूंगा/करूंगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस तरह की योजना का लाभ किसी भी सरकारी योजना में नहीं लिया है तथा मेरे पास इस तरह की इकाई नहीं है। मैं अपने परिवार से इस योजना हेतु एकल आवेदन कर रहा/रही हूँ। मैं समूह के सदस्य के रूप में नहीं कर रहा/रही हूँ।											
संलग्नक: 1. राशन कार्ड का फोटो कॉपी 2. जमीन का मालगुजारी रसीद का फोटो कॉपी 3. आधार कार्ड का फोटो कॉपी 4. वंशावली/शपथ पत्र की फोटो कॉपी 5. PM Kisan का पंजीकृत प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी 6. जल स्रोत का प्रमाण-पत्र (ग्राम सभा द्वारा)				आवेदक का हस्ताक्षर		अनुमोदित ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर Mob. No.- दिनांक-					

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

अनुलग्नक-II

प्रपत्र-'ख'

कृषि समृद्धि योजना

कृषक समूह/ महिला स्वयं सहायता समूह के लिए आवेदन पत्र

(समूह में सदस्यों की संख्या कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 सदस्यों के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा सदस्यों के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक समूह एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

समूह का नाम											
JSLPS द्वारा पंजीकृत हैं या नहीं (केवल महिला स्वयं सहायता समूह के लिए)		हाँ					नहीं				
पंजीकरण संख्या:											
समूह के गठन के तारीख											
समूह के अध्यक्ष का नाम, जो समूह की ओर से आवेदन करेंगे											
मोबाइल नंबर (आधार लिंकड)											
आधार नंबर											
समूह का पता- ग्राम						पंचायत					
प्रखंड						जिला					
समूह के सदस्यों एवं कृषि भूमि का विवरण											
क्र. सं.	सदस्य का नाम	आधार नंबर	आधार लिंकड मोबाइल नंबर	भूमि का विवरण							
				मौजा-				थाना नं0-			
				खाता नंबर	प्लॉट/ खेसरा	रकबा		रकबा			
						एकड़	डिसिमिल	एकड़	डिसिमिल		

																											नंबर		
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
		कुल रकबा																											
समूह द्वारा खेती का विवरण																													
क्रम संख्या	फसल का नाम												रकबा (एकड़ में)																

सिचाई जल स्रोत	नदी	तालाब	डोभा /कुआं
घोषणा धु सहमति इस समूह के सभी सदस्य यह घोषणा करते हैं की योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार समूह पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। समूह योजना का लाभ लेने के लिए समूह द्वारा एस्करो (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस समूह द्वारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी श्रोत से नहीं लिया गया है और ना हो समूह और समूह के सदस्यों या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। समूह के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। समूह के सदस्यों की और से समूह के अध्यक्ष e-KYC कराएंगे।			
संलग्नक :- 1. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी 2. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी 3. सभी सदस्यों (अध्यक्ष सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद		समूह के अध्यक्ष का हस्ताक्षर	अनुमोदित ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर मोबाइल नंबर: दिनांक-

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है ।

कृषक उत्पादक संस्था/कृषक उत्पादक कंपनी/ लैम्प्स/पैक्स के लिए आवेदन पत्र

(एक आवेदन पत्र में अधिकतम 10 शरहोल्डर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। 10 से ज्यादा शरहोल्डर्स के लिए अलग से नया आवेदन किया जा सकता है। एक संस्था एक वर्ष में अधिकतम दो ही आवेदन कर सकता है।)

[illegible]

[illegible]

सिंचाई जल स्रोत	नदी	तालाब	डोभा/कुआं
घोषणा/सहमति यह संस्था के घोषणा करती है कि योजना के प्रचालन निर्देशिका के अनुसार संस्था पात्र आवेदक है और ऊपर दी गयी जानकारी सही एवं सत्य है। संस्था योजना का लाभ लेने के लिए संस्था द्वारा एस्करो (Escrow) बैंक अकाउंट में 10% की अंशदान की राशि जमा करेगी। समूह यह भी घोषणा करता है की इस संस्था द्वारा पूर्व में इस तरह की योजना का लाभ किसी भी स्रोत से नहीं लिया गया है और ना ही आवेदन में दिए गए सदस्यों के पास या उनके परिवार के पास ऐसी कोई इकाई है। संस्था के आवेदन करने वाले कोई भी सदस्य या उनके परिवार के सदस्य इस योजना अलग से व्यक्तिगत आवेदन नहीं कर रहे हैं। संस्था के सदस्यों की और से अधिकृत पदाधिकारी e- KYC कराएंगे।			
संग्रहक: - सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का आधार कार्ड का फोटो कॉपी - सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का राशन कार्ड की फोटो कॉपी - सभी आवेदन करने वाले सदस्यों (अधिकृत पदाधिकारी सहित जिनका e- KYC किया जाना है) का जमीन का मालगुजारी रशीद - संस्था पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी - GST/ PAN/ TAN की फोटो कॉपी		संस्था के अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
		अनुमोदित ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर तथा मोहर मोबाइल नंबर: दिनांक-	

नोट:- आवेदक सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। त्रुटि पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है ।

अनुलग्नक-IV

प्रपत्र-'घ'

किसान समृद्धि योजना

Verification report of installed unit by PD ATMA

अनुलग्नक-V

प्रपत्र-'ड.'

किसान समृद्धि योजना

आवेदक द्वारा संतुष्टि पत्र तथा भुगतान हेतु अनुरोध पत्र

सेवा में,

दिनांक-

जिला कृषि पदाधिकारी,

जिला-.....

महाशय,

मैं आधार संख्या.....अध्यक्ष/सक्षम
पदाधिकारी (समूह/FPO/FPC/LAMPS/PACS का नाम)

.....
ग्राम.....पंचायत.....प्रखण्ड.....

.....सूचित करता हूँ कि श्री आधार
सं0.....को किसान समृद्धि योजना अन्तर्गत 2HP/5HP सोलर पम्प इकाई
का अधिष्ठापन उक्त योजना हेतु अधिसूचित
कम्पनी द्वारा किया गया है और मैं इकाई अधिष्ठापन के कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ।
अतः अनुरोध है कि उक्त कम्पनी को देय राशि विमुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

आवेदक का नाम/समूह के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी

का नाम

मोबाईल सं0-

दिनांक-

